

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग,
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

पत्रांक- टी0 2/ एम0ई0एस0- 03/2014 - 672 /पटना, दिनांक-26.5.2014

प्रेषक,

श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

आई0 टी0 मैनेजर,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- भी0टी0पी0 से संबंधित ट्रेनिंग बैच अनुमोदन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेश दिया जाता है कि भी0 टी0 पी0 को प्रशिक्षण देने हेतु एक मोडूल में एक साथ दो बैच तथा कुल छः बैच में प्रशिक्षण देने हेतु ट्रेनिंग बैच का अनुमोदन किया जा सकता है। छः बैच से अधिक की मांग करने पर संबंधित भी0 टी0 पी0 का समयोपरान्त उस पर विचार किया जाएगा।

2. वैसे भी0 टी0 पी0 जिन्होंने पूर्व में ट्रेनिंग बैच के लिए नियमानुसार आवेदन दिया था तथा प्रशिक्षण की तय तिथि समाप्त हो गयी हो वैसे ट्रेनिंग बैच को रद्द कर पुनः नये सिरे से आवेदन देकर प्रशिक्षण चलाने हेतु ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं।

3. सभी सरकारी/ गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपने सुविधानुसार प्रशिक्षण बैच तैयार कर सकते हैं।

विश्वासभाजन,

(राजेश्वर प्रसाद सिंह, 22/05/14

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।